उनवान– बाली देवी बनाम तहसीलदार सेड़वा
राजस्व आवेदन संख्या 157/2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 157/2024 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवान :–

प्रार्थीनी :– 1. बालीदेवी पत्नी रूपाराम जाति मेघवाल, निवासी पमाना, हाल निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थी :– 01. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थी :– श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक 24.02.2025

प्रार्थीनी बालीदेवी पत्नी रूपाराम जाति मेघवाल निवासी पमाना हाल निवासी फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम फागलिया पटवार हल्का फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 822/178 रकबा 2.3229 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीया की रहवासीय ढाणी आयी हुई है। प्रार्थीया को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने–जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम फागलिया के खसरा नम्बर 561/177 रकबा 0–5585 हैक्टेयर में से 20 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। खसरा संख्या 925/178 भूमि खातेदार उदा पुत्र नागजी ने रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी है। उक्त रास्ता आने–जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्तें के अलावा प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने–जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। अभी राज्य सरकार की भूमि पर कुछ अतिक्रमणधारियों द्वारा उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता हैं। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक: [illegible]24/2125 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:31:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उनवान– बाली देवी बनाम तहसीलदार सेड़वा
राजस्व आवेदन संख्या 157/2024

लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2024/3404 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण उपस्थित मिले। मौके पर वादीनी व गांव मुखिया मौतबरानों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआंवना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजस्थान सरकार	561/177	0–5585 हैक्टेयर	20	0.1200 हैक्टेयर	फागलिया	18790/–	बा.सो

वादीया के ग्राम फागलिया के खसरा संख्या 822/178 के खातेदार बालीदेवी पत्नी रूपाराम कौम मेघवाल सा0 पमाणा द्वारा अपने खेत तक आने जाने के लिए सरकारी खसरा संख्या 561/177 रकबा 0–5585 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 में से कटान रास्ते की मांग की है, प्रार्थी द्वारा मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आवागमन योग्य है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का कीमती पेड़, मकान आदि नहीं है। वर्तमान में भूमि मौके पर खाली है। प्रार्थी द्वारा मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम व सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ग्राम फागलिया की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा निर्धारित की गई कृषि भूमि की दर असिंचित सड़क के पास 25346/– प्रति बीघा है। प्रार्थीनी के खातेदारी खेत 822/178 तक पहुंचने हेतु ग्राम फागलिया के खसरा संख्या 561/177 में से प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे में केसरिया रंग से दर्शाया गया है प्रस्तावित रास्ता व प्रार्थीया के खेत के बीच खसरा संख्या 952/178 रास्ता प्रयोजनार्थ राजहक में समर्पित है। संलग्न नक्शा फर्द मौका का अभिन्न अंग है। फर्द मौका पढकर सुनाई गई, सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाए गए।

प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एव मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली प उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी [illegible] पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत प्रार्थीनी क

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:31:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उनवान– बाली देवी बनाम तहसीलदार सेड़वा
राजस्व आवेदन संख्या 157 / 2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजस्थान सरकार	561 / 177	0.5585 है.	20	0.1200 है.	फागलिया	18790 / –	बा.सो

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी / संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी / डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीनी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 01.09.2024 मय फर्द एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस केसरिया रंग से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीनी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीनी क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट दिनांक 01.09.2024 मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीनी को उक्त खसरा में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:31:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

3. प्रार्थीनी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीनी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीनी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 24.02.2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:31:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 3404

दिनांकः— 26-11-2024

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः— राजस्व आवेदन सं 151 / 2024 अनवान बालीदेवी बनाम राजस्थान सरकार अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 151 / 2024 अनवान बालीदेवी बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम फागलिया के खसरा **822 / 178** में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. **561 / 177** में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक फागलिया द्वारा दिनांक **01.09.2024** को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:31:24 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द -

आज दिनांक 01/09/2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक/मू.अ./1733-1734 दि० 20/6/2024 एवं माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 151/2024 मतवान बालीदेवी बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 A मे मौका रिपोर्ट तैयार करने ग्राम फागलिया के खसरा स. 561/177 पर आया।

ग्राम फागलिया के खसरा न. 822/178 के खातेदार बालीदेवी पत्नी रूपाराम कौम मेघवाल सा० फगाणा द्वारा अपने खेत तक आने जाने के लिए सरकारी खसरा स. 561/177 रकबा 0.5585 हेक्टर किस्म बा० सि० में से कटान रास्ते की मांग की है प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नही है - रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आवागमन योग्य है जिसका विवरण निम्नानुसार

क्र. स.	काश्तकार का नाम	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा (हे.)	किस्म	रास्ते की चौडाई	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त रकबा	प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त ? कीमत
1	राजस्थान सरकार	फागलिया	561/177	0.5585 हे.	बा० सि०	20 फीट	0.1200 हे	18790 ₹

उक्त प्रस्तावित रास्ते मे किसी प्रकार का कीमती पेड मकान आदि नही है वर्तमान मे भूमि मौके पर खाली है प्रार्थी द्वारा मांगे गये प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम व सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है

ग्राम फागलिया की जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा निर्धारित की गई कृषि भूमि की दर असिंचित सड़क के पास 25346/- प्रति बीघा है, प्रार्थी के खातेदारी खेत 822/178 तक पहुंचने हेतु ग्राम फागलिया के खसरा सं. 561/177 मे से प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे मे केसरिया रंग से दर्शाया गया है प्रस्तावित रास्ता व प्रार्थीया के खेत के बीच खसरा स 952/178 रास्ता प्रयोजनार्थ राजहक मे समर्पित है। संलग्न नक्शा फर्द मौका का शामिल अंश है फर्द मौका पढ़कर सुनाई गई सही होना स्वीकार का हस्ताक्षर/अ. निशान करवाये।

ओमप्रकाश

रूपाराम

Ex-Court

C.S.

01/9/24
ILR फागलिया

तहसीलदार (मू.अ) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:31:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 02/07/2024 01:32:16 PM

जिला : बाड़मेर

तहसील : सेडवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : फागलिया

पटवारी हल्का : फागलिया

ग्राम : फागलिया

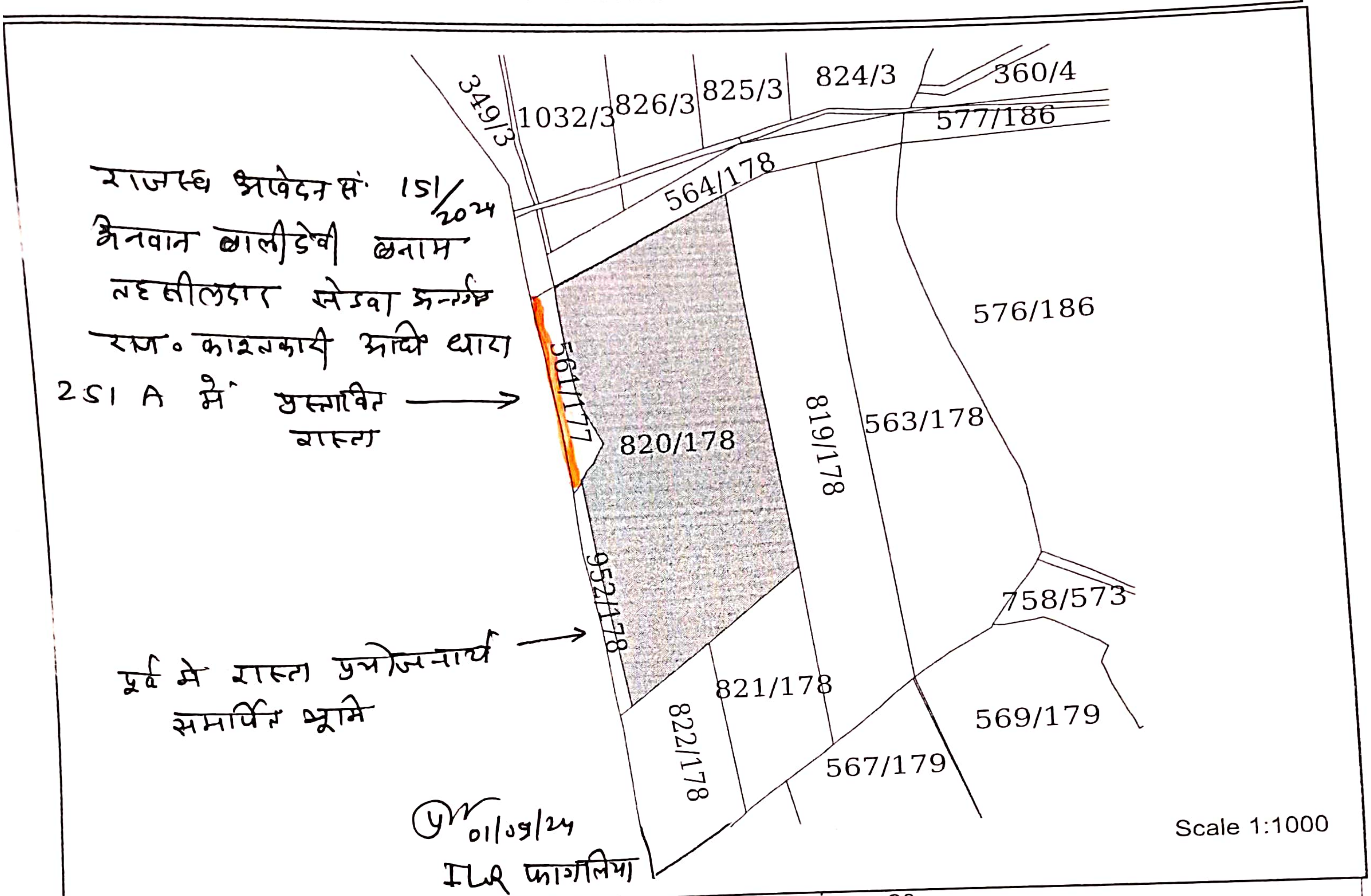

खसरा संख्या :820/178 क्षेत्रफल : 6.3293 Hectare खाता संख्या : 67पुराना खाता संख्या :20

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [6.3293, 1.20]

1) [illegible] पुत्र [illegible]जी हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सेडवा

Ex-Court

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:31:24 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा